**ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी**

**968. श्री अजीत जोगी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण श्रमिकों संबंधी राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित की गयी न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अभी तक कृषि श्रमिक के लिए ग्रामीण श्रमिकों संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ग्रामीण श्रमिकों संबंधी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को मान लेने एवं तदनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए समझा-बुझा रही है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने अभी तक उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है ; और

(ङ) राज्यों द्वारा इन सिफारिशों को न मानने के एवज में क्या-क्या कारण प्रस्तुत किये गये हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :** (क) से (ङ) सरकार के पास उपलब्ध विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में अकुशल श्रेणी के खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी की दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने जुलाई, 1991 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर 20/- रुपये प्रतिदिन से कम नहीं निर्धारित की जानी चाहिए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में यह व्यवस्था की गई है कि समुचित सरकार ऐसे समय अन्तराल में न्यूनतम मजदूरी की दर में संशोधन करेगी, जैसा कि वह उचित समझती है, किन्तु ऐसा समय अंतराल पांच वर्षों से अधिक का नहीं होना चाहिए । 19 जुलाई, 1975 को आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 26वें सत्र में इस बात पर सहमति हुई थी कि जहां परिवर्ती महंगाई भत्ता न्यूनतम मजदूरी का एक घटक नहीं है, वहां राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी में दो वर्षों की अवधि के अन्दर संशोधन करना चाहिए । जुलाई, 1980 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 31वें सत्र में यह निर्णय लिया गया था कि यदि आवश्यक है, तो न्यूनतम मजदूरी की दर की अधिक से अधिक दो वर्षों की अवधि के अन्दर मूल्य सूचकांक में 50 अंकों की वृद्धि होने पर, जो पहले हो, समीक्षा की जानी चाहिए ।

केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने के लिए सलाह देती रही है। इस विषय पर भारतीय श्रम सम्मेलन, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन और क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन सहित विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श भी किया गया है ।

न्यूनतम मजदूरी के बारे में दी गई सिफारिशों को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित न किए जाने के भिन्न-भिन्न राज्यों के अलग-अलग कारण हैं । इनमें कमजोर सामाजिक-आर्थिक दशाएं, रोजगार आश्वासन योजना जैसी समानवर्ती योजनाओं का होना, मुकदमेंबाजी आदि शामिल हैं ।

विवरण

| क्र०सं० | राज्य/संघ शासित प्रदेश | अकुशल खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 16.80 रु० से 23.40 रु० प्रतिदिन (जोन के अनुसार) (8-4-91) |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 18.00 रु० से 20.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्र के अनुसार) (1-11-90) |
| 3. | असम | 1134.00 रु० प्रति माह या 984.00 रु० प्रति माह + भोजन, आश्रय और कपड़ा (1-2-92) |
| 4. | बिहार | 21.00 रु० प्रतिदिन (19-7-93) |
| 5. | गोवा | 27.50 रु० प्रति दिन (5-2-92) |
| 6. | गुजरात | 15.00 रु० प्रति दिन (1-8-90) |
| 7. | हरियाणा | 40.05 रु० भोजन सहित या 44.05 रु० भोजन के बिना (1-7-94) |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 24.00 रु० प्रति दिन से 26.00 रु० प्रति दिन (14-11-93) |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 15.00 रु० प्रति दिन (24-3-89) |
| 10. | कर्नाटक | 12.00 से 17.65 रु० प्रति दिन (12-7-88) |
| 11. | केरल | 30.00 रु० प्रति दिन महिलाओं के लिए 40.20 रु० प्रति दिन पुरुषों के लिए (31-3-92) |
| 12. | मध्य प्रदेश | 28.17 रु० प्रति दिन (30-9-93) |

| क्र०सं० | राज्य/संघ शासित प्रदेश | अकुशल खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी |
|---|---|---|
| 13. | महाराष्ट्र | 20.00 रु० से 29.00 रु० प्रति दिन (जोन के अनुसार) (26-6-94) |
| 14. | मणिपुर | 26.70 रु० प्रति दिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 23.70 रु० प्रति दिन पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा (23-12-88) |
| 15. | मेघालय | 35.00 रु० प्रति दिन (16-3-94) |
| 16. | मिजोरम | 28.00 रु० प्रति दिन (1-11-87) |
| 17. | नागालैण्ड | 25.00 रु० प्रति दिन (6-7-92) |
| 18. | उड़ीसा | 25.00 रु० प्रति दिन (1-7-90) |
| 19. | पंजाब | 42.12 रु० बिना भोजन के या 38.12 रु० भोजन के साथ (1-3-92) |
| 20. | राजस्थान | 22.00 रु० प्रति दिन (2-7-90) |
| 21. | सिक्किम | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का अभी विस्तार किया जाना है । |
| 22. | तमिल नाडु | 20.00 रु० प्रति दिन (6-4-93) |
| 23. | त्रिपुरा | 23.65 रु० प्रति दिन (20-12-93) |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 23.00 रु० प्रति दिन से 25.00 रु० प्रति दिन (7-1-92) |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 32.72 रु० प्रति दिन 29.52 रु० प्रति दिन+दो प्रमुख भोजन के साथ (2-10-92) |

| क्र०सं० | राज्य/संघ शासित प्रदेश | अकुशल खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूतम मजदूरी |
|---|---|---|
| 26. | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 27.00 रु० प्रति दिन (अण्डमान)<br>28.00 रु० प्रति दिन (निकोबार)<br>(13–8–92) |
| 27. | चंडीगढ़ | 36.43 रु० प्रति दिन भोजन के साथ या<br>40.23 रु० प्रति दिन बिना भोजन के<br>(1–3–92) |
| 28. | दादरा और नागर हवेली | 23.00 रु० प्रति दिन<br>(15–12–92) |
| 29. | दिल्ली | 54.60 रु० प्रति दिन<br>(1–8–94) |
| 30. | दमण और दीव | 22.00 रु० प्रति दिन<br>(19–3–93) |
| 31. | लक्ष्यदीप | 30.00 रु० प्रति दिन<br>(1–1–93) |
| 32. | पांडिचेरी | |
| | (i) पांडिचेरी क्षेत्र | 14.00 रु० प्रति दिन<br>(15–12–89) |
| | (ii) माहे क्षेत्र | 12.00 रु० प्रति दिन हल्के कार्य के लिए<br>15.00 रु० प्रति दिन भारी कार्य के लिए<br>(18–2–87) |
| | (iii) यनम क्षेत्र | 11.00 रु० प्रति दिन<br>(15–3–88) |
| | (iv) कराईकल | 14.00 रु० प्रति दिन या 7 लीटर धान<br>(31–1–90) +4.90 रु० प्रति |
| 33. | केन्द्रीय क्षेत्र | 41.58 रु० प्रति दिन<br>(1–10–94) |